गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 08.08.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 08.08.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
4.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
5.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
7.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 व्ही.डी. रंगारी

02 प्रो0 पी.के. बाजपेयी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 07.08.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 07.08.2019 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी रोलिंग विज्ञापन क्रमांक–105/भर्ती/प्रशा/2019 दिनांक 03.06.2019 में आवश्यक संशोधन करते हुए आचार्य एवं सह–आचार्य के पदों को उपरोक्त नवीन रोस्टर के अनुसार विश्वविद्यालय के वेब पटल पर प्रदर्शित किया जाय।

विषय क्र. 02 श्री प्रेमचंद्र पाण्डेय द्वारा CPGRAM Portal पर प्रस्तुत शिकायत के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा श्री प्रेमचंद्र पाण्डेय के CPGRAM Portal पर की गई शिकायत का अवलोकन किया गया।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि, वर्ष 2016 में प्रकाशित रोलिंग विज्ञापन में, उसके पश्चात् मार्च, 2019 में तथा रोलिंग विज्ञापन क्रमांक–105/भर्ती/प्रशा/2019 दिनांक 03.06.2019 में विभिन्न पदों को रोस्टर संवर्ग के अंतर्गत प्रसारित किया गया एवं समय–समय पर एम.एच.आर.डी. तथा यू.जी.सी. के दिशा निर्देशानुसार रोस्टर के अनुसार पदों को आवश्यक संशोधनों के साथ विज्ञापनों में प्रदर्शन किया जाता रहा।

स्थायी समिति ने यह भी अंकित किया कि ऐसे आवेदक जो पूर्व में विश्वविद्यालय के जारी किये गये रोलिंग विज्ञापन (2016 के रोलिंग विज्ञापन से अद्यतन) के अनुक्रम में आवेदन कर चुके हैं और रोस्टर में संशोधनों के कारण उन आवेदकों द्वारा जिस संवर्ग के लिए उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किये थे, उन संवर्गों के पदों में परिवर्तन हुए है तथा वर्तमान में अंतिम रोस्टर अनुसार उन संवर्गों के पद समाप्त हो गये है, ऐसे आवेदकों द्वारा उनके आवेदन प्रस्तुत करते समय जमा की गई आवेदन शुल्क को वापस किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे है।

निर्णय लिया गया कि, ऐसे आवेदक जो उपरोक्तानुसार पहले आवेदन कर चुके है और अंतिम रोस्टर के पश्चात् उनके द्वारा आवेदित संवर्ग के पद समाप्त हो गये है, तो उन आवेदकों के द्वारा आवेदन शुल्क सहित आवेदन विश्वविद्यालय में जमा किये जाने के प्रमाण सहित आवेदन शुल्क वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उन आवेदकों का आवेदन शुल्क वापस किया जाय।

विषय क्र. 03 **गैर शैक्षणिक संवर्गों हेतु रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 08.08.2019 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा तद्नुसार विज्ञापन प्रसारित किया जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**